कार्यालय, जिला पंचायत,चन्दौली।

पत्रांक–   /जि0पं0चं0/2016–17   दिनांक– 24.08.16

कार्यालय ज्ञापः–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चन्दौली, मठवाली गली स्थित जिला पंचायत काम्प्लेक्स के प्रथम तल पर 42 दुकानों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसकी निविदा भी करायी जा चुकी है। दुकानों पर प्रति दुकान प्रिमियम की धनराशि मु0–250000.00 (दो लाख पचास हजार रू0) मात्र निर्धारित की गयी है तथा प्रति दुकान किराया मु0–500/– रू0 (पाच सौ रू0) मात्र प्रति माह निर्धारित किया गया है। दुकानों के प्रिमियम धनराशि जमा करने की अवधि दिनांक–24.08.2016 से अब दिनांक–24.10.2016 तक निर्धारित कर दी गयी है। निविदा की शर्तों के अनुसार उक्त दुकानों का निर्माण का भुगतान दुकानों पर जमा प्रिमियम की धनराशि से किया जाना है। व्यापारी/आम जन–मानस के साहूलियत को दृष्टिगत रखते हुए प्रिमियम की धनराशि जमा करने में निम्नलिखित रूप से संशोधन किया गया हैः–

1. सम्पूर्ण प्रिमियम की धनराशि मु0–250000.00 रू0 का 25%=62500.00 प्रथम किस्त के रूप में जमा करना होगा।
2. शेष प्रिमियम की धनराशि को मु0–37500.00 रू0 आगामी प्रत्येक महिने में कुल पॉच बराबर किस्तों में (कुल 75 प्रतिशत) जमा करना अनिवार्य है।

शेष नियम व शर्तें पूर्व की भॉति यथावत रहेंगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अन्य जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।

(अनन्त बहादुर सिंह)	(अशोक कुमार मद्धेशिया)	(सरिता सिंह)
अभियन्ता,	अपर मुख्य अधिकारी,	अध्यक्ष,
जिला पंचायत, चन्दौली।	जिला पंचायत, चन्दौली।	जिला पंचायत,चन्दौली।

पृ0सं0– 285 /जि0पं0चं0/2016–17   तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2– जिलाधिकारी, चन्दौली के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3–मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4–वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चन्दौली।
5–अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, चन्दौली के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6–जिला पंचायत के सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना एन0आई0सी0 के वेब–साइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8–विज्ञापन व्यवस्थापक, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान व अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि एक दिवस में अपने अगले अंक में न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,चन्दौली।